निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 15/2024
दायरा दिनांकः—06.06.2024
निर्णय दिनांकः— 11-12-24

उनवान

हरिप्रसाद आयु 50 वर्ष पुत्र नाथुलाल जाति मीना निवासी ग्राम बरपाडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 11-12-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अमृतलाल लोधा — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 64 की खसरा संख्या 17 की रकबा 1.9853 है०, स्थित है एव इसी प्रकार खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 96, 98. कुल कितर 2 कुल रकबा 0.5311 हैक्टयर, स्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 46, 48. कुल किता 2 कुल रकबा 1.2772 है० स्थित है खाता संख्या भूमि वाके माल बरपाडा तहसील छबड़ा जिला बारा (राज०) में स्थित है जिसकी वर्तमान जमाबंदीयां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल में प्रार्थी के पिता नाम नाथूलाल के स्थान पर घर मे बोलता नाम छाबू दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नाथूलाल है जिसे दुरुस्तीकरण किया जाकर छाबू के स्थान पर नाथूलाल किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी का अन्य जमाबंदी खाता संख्या 56 खसरा नम्बर 54 रकबा 1.5048 हैक्टयर एंव खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 55, 56, 57, 58, 59 60 में हिस्सा 1/2 मे प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र नाथूलाल दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है।प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थी के पिता नाम नाथूलाल दर्ज है।प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का गलत छाबू दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है। प्रार्थी दिनांक 1/05/2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड मे अपने एवं उसके पिता के नामो की त्रुटि की जानकारी हुई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडाा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 17 नकल नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 18 फोटो प्रति पेन कार्ड हरिप्रसाद पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 56 नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 57 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरपाडा तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी कके पिता की मृत्यु के बाद फोती नातान्तरण खोलतें समय सहवन से इन्तकाल में प्रार्थी के पिता का नाम नाथुलाल के स्थान पर बोलता नाम छाबु दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम नाथुलाल है जिसे दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है प्रार्थी के अन्य खाता संख्या 56 खाता संख्या 57 में प्रार्थी के पिता का नाम नाथुलाल दर्ज है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम नाथुलाल दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छाबु दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम छाबु के स्थान पर नाथुलाल दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 64 सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 17 सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 18 में प्रार्थी के पिता का नाम छाबु दर्ज है तथा नकल जमाबन्दी ग्राम बरपाडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 56 सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 57 में प्रार्थी के पिता का नाम नाथुलाल दर्ज है प्रार्थी के अन्य दस्तावेज पेन कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हरिप्रसाद पुत्र नाथुलाल जाति मीना दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहासीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम बरपाडा की जमाबन्दी खाता संख्या 64 खाता संख्या 17 खाता संख्या 18 में हरिप्रसाद पुत्र छाबु दर्ज है उक्त भूमि खातेदार को नामान्तरण संख्या 68 दिनांक 15.02.1981 को छाबु पुत्र सांवलिया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बारां)

के नाम से विरासत के नामान्तरण से प्राप्त हुई थी ग्राम वासियों से जानकारी करने पर प्रार्थी के पिता को नाथुलाल नाम से सम्बोधित करतें थें। एवं नाथुलाल जाति मीना नाम से कोई अन्य व्यक्ति निवास नही करता था। और ना ही छाबु के नाम से कोई व्यक्ति था प्रार्थी हरिप्रसाद के अन्य दस्तावेजों में नाथुलाल है सेटलमेनट जमाबन्दी में भी प्रार्थी के पिता का नाम छाबु बल्द सांवला दर्ज है छाबु उर्फ नाथुलाल दर्ज करने की अनुशंषा की है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी के पिता का सही नाम नाथुलाल है कुछ राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी अपने पिता का सही नाम छाबु के स्थान पर नाथुलाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बरपाडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 17 रकबा 1.9853 है0 खसरा नम्बर 96 रकबा 0.2529 है0 खसरा नम्बर 98 रकबा 0. 2782 है0 खसरा नम्बर 46 रकबा 0.6449 है0 खसरा नम्बर 48 रकबा 0.6323 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम छाबु के स्थान पर नाथुलाल उर्फ छाबु दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा